बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक–   पटना, दिनांक–
संचिका संख्या– ह0रे0/स्था0 (विविध)– 58/10
प्रेषक,

अपर निदेशक (तक0),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

विषय – नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) से निकास के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मामले में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 890 दिनांक 22.10.18 जो स्वतः स्पष्ट है, की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
अपर निदेशक (तक0),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– ह0रे0/स्था0 (विविध)– 58/10 2025/, पटना, दिनांक– 26.11.18
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभागीय पत्र संख्या 890 दिनांक 22.10.18 की छायाप्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

26.11.18
अपर निदेशक (तक0),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- वि०(27)पें०को०-20/2017 ....890......

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी कोषागार पदाधिकारी,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक - 22-10-18

विषय :- नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) से निकास के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत नियुक्त कई कर्मी अधिवार्षिता, मृत्यु एवं स्वेच्छा से सेवा परित्याग करने की स्थिति में NPS से बाहर जा रहे है। उपर्युक्त स्थितियों में Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exit and withdrawal) Regulation, 2015 के द्वारा एक मुश्त भुगतान एवं मासिक पेंशन भुगतान की व्यवस्था निम्नवत की गयी है :-

(i) सेवानिवृति की सामान्य आयु 60 वर्ष पर सेवानिवृति की स्थिति एवं असमर्थता की स्थिति में पेंशन फंड में संचित कुल राशि में से अधिकतम 60 प्रतिशत राशि का एकमुश्त भुगतान सरकारी सेवक को किया जायेगा तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत राशि से सूचीबद्ध वार्षिकी (पेंशन) सेवा प्रदाता कंपनी से पेंशन प्लान की खरीद करनी होगी।

(ii) 60 वर्ष के पहले सेवा परित्याग की स्थिति में सरकारी सेवक को उनके पेंशन फंड में संचित राशि में से 20 प्रतिशत राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा तथा 80 प्रतिशत से पेंशन भुगतान हेतु किसी सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता कंपनी से पेंशन प्लान की खरीद की जायेगी।

(iii) सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में सरकारी कर्मी के आश्रित/परिवार को उपर्युक्त बिन्दु-2 के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

उपर्युक्त सभी प्रपत्र NSDL एवं PFRDA के बेवसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त परिस्थितियों में NPS कर्मियों के पेंशन फंड में संचित राशि के भुगतान हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्र विहित किये गये हैं, जो निम्नवत है :-

प्रपत्र - 101	-	60 साल की आयु के पश्चात सेवानिवृति/असमर्थता की स्थिति में निकास हेतु प्रपत्र।
प्रपत्र - 102	-	60 साल के पूर्व सेवा परित्याग की की स्थिति में निकास हेतु प्रपत्र।
प्रपत्र - 103GD	-	सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में निकास हेतु प्रपत्र।

2. उक्त प्रपत्र को संपूर्ण सूचनाओं के साथ शुद्धता एवं स्पष्टता के साथ भर कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से कोषागार पदाधिकारी को हस्तगत कराना है। कोषागार पदाधिकारी द्वारा इसे NSDL-CRA के साईट पर ऑनलाईन संबमिट किया जाता है। लेकिन NSDL एवं PFRDA से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निम्नांकित समस्याएँ सामने आ रही है :-

(i) NPS कर्मियों द्वारा सेवानिवृति/सेवापरित्याग/मृत्यु के स्थिति में निकासी हेतु फार्म ससमय नहीं भरा जा रहा है।

(ii) फार्म भरने में संपूर्ण आवश्यक सूचना शुद्धता एवं स्पष्टता के साथ नहीं दी जा रही है।

(iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा भी फार्म पर अंकित सूचनाओं की जाँच नहीं की जा रही है। NSDL द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निदान समय पर नहीं किया जा रहा है।

(iv) कोषागार पदाधिकारी द्वारा भी फार्म की जाँच नहीं करने से अधूरी सूचनाओं के साथ गलत फार्म NSDL को प्रेषित हो रहा है।

(v) उपर्युक्त कारणों से सेवानिवृति/सेवापरित्याग/मृत्यु के बाद भी निकासी संबंधित मामलों का निष्पादन नहीं हो रहा है एवं सेवानिवृत कर्मी NPS के लाभ से वंचित है।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों में निम्नांकित दिशा निदेश दिए जा रहे हैं:-

(i) ; सेवानिवृति/सेवापरित्याग/मृत्यु की स्थिति में NPS कर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा संबंधित फार्म सेवानिवृति के 3 माह पूर्व ही शुद्धता के साथ भरकर संपूर्ण आवश्यक कागजातों के साथ अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को हस्तगत करा दिया जाय। फार्म में किसी गलत, अशुद्ध एवं अस्पष्ट सूचना देने तथा अनिवार्य

105 – 062

कागजात संलग्न नहीं करने के कारण यदि आवेदन को वापस किया जाता है तथा राशि के भुगतान में विलंब होता है तो इस विलंब के लिए संबंधित NPS कर्मी एवं उनके आश्रित जिम्मेवार होंगे।

(ii) संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में शुद्ध, स्पष्ट एवं सभी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि करते हुए सभी अनिवार्य कागजात संलग्न कराना सुनिश्चित करायेंगे। पूर्ण, स्पष्ट, शुद्ध एवं अनिवार्य कागजातों के साथ फार्म कोषागार को हस्तगत करायेंगे। अपूर्ण, अस्पष्ट, अशुद्ध एवं अनिवार्य कागजातों के बिना यदि फार्म कोषागार भेजा जाता है एवं इसके कारण भुगतान में विलंब होता है तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी जिम्मेवार होंगे।

(iii) कोषागार द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण भरा हुआ निकासी हेतु फार्म स्वीकार किया जायेगा तथा उसे NSDL-CRA के साइट पर लॉगिन कर अपलोड किया जायेगा। कोषागार द्वारा ऑनलाईन फार्म भरने में पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी। डीडीओ द्वारा फार्म में कोई गलत या अपूर्ण तथा अस्पष्ट सूचना दी गयी तथा अनिवार्य कागजात संलग्न नहीं किया गया है तो फार्म स्वीकार ही नहीं किया जाय। त्रुटिपूर्ण फार्म NSDL-CRA को भेजने के कारण यदि निकासी में विलंब होता है तो कोषागार पदाधिकारी भी जिम्मेवार होंगे।

कृपया उपरोक्त का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

(M.B.)
22-10-18

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 4908 पटना, दिनांक 06.11.18
3प/30का0(विविध)33/15

प्रतिलिपि :- उद्योग निदेशक/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/अवर सचिव, प्रशाखा 4 (स्था०), उद्योग विभाग/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय/श्री [illegible] कुमार, सहायक, प्रशाखा 1 (स्था०), उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री [illegible] कुमार, सहायक, प्रशाखा 1 (स्था०) से अनुरोध है कि पत्र में विहित निदेश के आलोक में संबंधित फार्म 3 माह पूर्व आवश्यक कागजातों के साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को हस्तगत करा दें।